न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

मुकदमा नंबर 130/2023
ऑनलाईन जीसीएमएस नंबर 2023/270 निर्णय दिनांक 26.05.2025

भगवानाराम पुत्र बेगाराम जाति जाट निवासी जोगलिया तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू

—वादी—

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय श्रीडूंगरगढ़

—प्रतिवादी—

उपस्थितिः—

1. श्री राजाराम नैण अभिभाषक वादी
2. स्टेट की ओर से पैरोकाराराज

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम

संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादी का खातेदारी खेत खसरा नम्बर 183 तादादी 4.5000 हैक्टेयर रोही ग्राम समन्दसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में अवस्थित है। जो कि वादी द्वारा खरीदशुद्ध खेत है। वादी ने उपरोक्त कृर्षि भूमि खेत खसरा नम्बर 183 को दिनांक 04.04.2002 को खातेदार फुसी देवी पत्नी सुगनाराम जाति जाट निवासी समन्दसर से खरीद किया था। विक्रय पत्र का पजीयन कार्यालय उपपजीयक श्रीडूंगरगढ़ मे दिनांक 04.04.2002 को कराया गया। वादगत कृर्षि भूमि को विक्रय पत्र का पजीयन कराते समय विक्रय पत्र में क्रेता के पिता का नाम दानाराम जाति जाट अंकित कर दिया गया था। जबकि वादी के पिता का सही नाम बेगाराम है, एवं वही नाम वादी की अन्य कृषि भूमि मे एक खातेदारी खेत खसरा नम्बर 520/213 तादादी 15.58 हैक्टेयर रोही मोजा धातरी मे वादी के पिता का नाम बेगाराम दर्ज है। वादी के पिता को बेगाराम के नाम से जाना पहचाना जाता है विक्रय—पत्र कराते समय प्रलेख लेखक को परिवार से आये हुये लोगो ने घर में बोलता नाम प्रयूक्त होने वाला नाम बता दिया गया प्रलेखक ने उसी प्रकार दर्ज कर तथा विक्रय पत्र का पजीयन करा दिया बाद पजीयन राजस्व रिकार्ड में विक्रय—पत्र के अनुसार नामान्तरण दर्ज कर दिया गया। जबकि प्रलेख लेखक द्वारा वादी द्वारा दिये गये पहचान—पत्र का अवलोकन नही किया गया। इसकी वजह से साथ आये हुऐ लोगो द्वारा वादी के पिता का नाम उनके कहे अनुसार दानाराम दर्ज कर दिया गया। जिसको दावा के जरिये सही करवाकर वादी अपने पिता का नाम बेगाराम दर्ज करवाने का अधिकारी है। वादी द्वारा दिनांक 04.04.2002 को खरीद के समय विक्रय—पत्र मे पिता का नाम दानाराम गलत दर्ज होने जानकारी होने पर वादी द्वारा दिनांक 19.07.2018 को विक्रय—पत्र के बाबत शुद्धि—पत्र करवाकर नाम सशोंधन का अधिकार प्राप्त कर लिया गया था। परन्तू वादी द्वारा शुद्धि—पत्र की छायाप्रति पैश कर पिता का नाम शुद्धि हेतु तहसीलदार राजस्व श्रीडूंगरगढ़ के समक्ष पैश किया गया परन्तु तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ नें अधिकार क्षैत्र के बाहर की कार्यवाही मानते हुऐ सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना राजस्व रिकार्ड में पिता का नाम शुद्ध करने से इनकार कर दिया। यही बिनाय दावा बिनाय मुखासमत वादी को प्रतिवादी के विरूद्ध हासिल है। वादगत भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 भूमिधारी होने के कारण पक्षकार समायोजित किया गया है स्टेट से किसी प्रकार का अनुतोष नही चाहा गया है फिर भी कानूनी आपतियो को मध्यनजर रखते हुए 80(2) सी.पी.सी.का छूट का प्रार्थना पत्र वादपत्र के साथ प्रस्तूत किया जा रहा है। वादगत कृर्षि भूमि के खसरा नम्बर 183 तादादी 4.5000 हैक्टेयर रोही ग्राम समन्दसर मे होने से वाद माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का है। वादपत्र पूर्ण कोर्ट फीस पर व समय सीमा के भीतर—भीतर प्रस्तूत किया जा रहा है एवं निवेदन किया गया है कि वादी का दावा निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावेः—

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.06.20 11:47:43 IST
Reason: SelfAttested

(क) कि इस आशय की डिक्री फरमाई जावे कि वादगत खेत खसरा नम्बर 183 तादादी 4.5000 हैक्टेयर रोही ग्राम समन्दसर मे वादी के नाम भगवानाराम पुत्र दानाराम की जगह भगवानाराम पुत्र बेगाराम जाति जाट निवासी जोगलिया तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू की घोषणा की जाकर राजस्व रिकार्ड में अकंन किया जावें।

(ख) यह है कि वादगत खेत खसरा नम्बर 183 तादादी 4.5000 हैक्टेयर रोही मौजा समन्दसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ मे वादी के पिता का नाम दानाराम के स्थान पर बेगाराम वादी रिकार्ड दुरूस्ती के जरिये दर्ज करवाने का अधिकारी है।

(ग) अन्य अनुतोष जो हितकर वादी हो या दौराने दावा उत्पन्न हो वादी के पक्ष में फरमाया जावे।

वादी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी स्टेट की ओर से पैरोकारराज ने जवाबदावा पेश किया। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। संक्षेप में स्टेट को वादी वाद स्वीकार करनें में आपति नहीं होने व वादी वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

निर्णय

खेत खसरा नम्बर 183 तादादी 4.5000 हैक्टेयर रोही ग्राम समन्दसर मे वादी के नाम भगवानाराम पुत्र दानाराम के स्थान पर भगवानाराम पुत्र बेगाराम जाति जाट निवासी जोगलिया तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें। डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 26.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.06.20 11:47:43 IST
Reason: SelfAttested

प्राथमिक डिक्री
मुकदमें इन्तदाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूँगरगढ जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी उमा मित्तल (R.A.S.)

उनवान

भगवानाराम पुत्र वेगाराम जाति जाट निवासी जोगलिया तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय श्रीडूंगरगढ़

दावा बाबत घोषणात्मक, रिकार्ड दुरूस्ती

मुकदमा नम्बर 130/2023

निर्णय दिनांक:26.05.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कतई रूबरू अदालत बहाजरी वादी की ओर से अधिवक्ता राजाराम नैण एवं प्रतिवादी की ओर से पैरोकाराराज मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि खेत खसरा नम्बर 183 तादादी 4.5000 हैक्टेयर रोही ग्राम समन्दसर मे वादी का नाम भगवानाराम पुत्र दानाराम के स्थान पर भगवानाराम पुत्र बेगाराम जाति जाट निवासी जोगलिया तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें।

लीज....0.....मुबलिग.....0.....बाबत.....0.....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह.....0..फीसदी सालाना आज को जारी.....तारीख वसूलयाबी.....को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक 26 माह 05 सन् 2025 को जारी किया गया ।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी,
श्री डूँगरगढ

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प	0	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3..प्रदर्शो के लिए स्टाम्प	0	3. प्लीडर की फीस	0
4.....रूपये पर प्लीडर की फीस	0	4.साक्षियों के लिए निर्वाह भत्ता	0
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–भत्ता	0	5. आदेशिका की तामिल	0
6.कमिश्नर की फीस	0	6. कमिश्नर की फीस	0
7.आदेशिका की तामिल	0		
योग	0	योग	0

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.06.20 11:47:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,
श्रीडूँगरगढ